



राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

State Consumer Helpline:-
☎ 1800-180-6030 Or 14435
📞 7230086030

क्रमांक: एफ 89/संस्था/LM-01(05)/2017-00540

जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षरित दिनांक

कार्यालय आदेश

विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत निम्नांकित निरीक्षक, विधिक मापविज्ञान को प्रशासनिक एवं कार्यात्मक आवश्यकता के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित मानक प्रयोगशाला का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त कार्यभार
1	श्री रामनिवास विश्नोई	बाड़मेर	फलौदी

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
निदेशक/नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक/नियंत्रक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं फलौदी।
5. उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
6. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
7. उपनियंत्रक, विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
8. सम्बन्धित सम्भागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी।
9. सहायक प्रोग्रामर, उपभोक्ता मामले विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने, संबंधित को ई-मेल करने एवं आवश्यक मैपिंग कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
10. श्री रामनिवास विश्नोई, निरीक्षक विधिक मापविज्ञान को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।